राष्ट्र के लिए हम मिलकर काम करते हैं !
आप भी हमारी सहायता कर सकते हैं !

नगद पुरस्कार योजना

सरकार नागरिकों से संगृहीत कर की सहायता से कार्य करती है । कर उगाही एक प्रणाली है जनता जिसे सामान्यतः पसंद नही करती । इसलिए, कर-अपवंचन एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जहाँ सरकारी राजस्व का नुकसान होता है । कर-अपवंचन का पता लगाने के कार्य को विस्तार देने के लिए सरकार ने उन लोगों के लिए नकद पुरस्कार योजना बनाई है जो कर-अपवंचन का पता लगाने में उसकी सहायता करते हैं । नीचे उन लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन दिए गए हैं जो सीमा शुल्क अपवंचन / धोखाड़ियों का पता लगान में सहायता करना चाहते हैं :-

वर्तमान में चालू नकद पुरस्कार योजना के तहत सूचनादाता व्यक्तियों को जो वस्तुओं, मुद्रा, सोना-चाँदी आदि का अभिग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट सूचना देते हैं या जिनके द्वारा दी गई सूचना से मात्रा, विवरण, मूल्य आदि संबंधी गलत घोषणा और कर-अपवंचन का पता चलता है, उन्हें भारत सरकार आकर्षक नगद पुरस्कार देती है । जनता या किसी व्यक्ति द्वारा कपटपूर्वक कर-अपवंचन की उजागर करने से संबंधित कोई संदेश एक सूचना होती है ।यही वह संदेश होता है जिसके आधार पर विभाग के अधिकारीगण आगे की जांच पड़ताल व अन्वेषण करते है और परिणामस्वरूप माल को अभिगृहीत या नज़रबंद किया जाता है । सूचना लिखित रूप में सूचना देने वाले व्यक्ति के अपने हस्ताक्षर तथा अपने बांए हाथ के अंगूठे के निशान लगा कर विभागाध्यक्ष के नाम दी जाती है । सूचना में अपवंचन के संबंध में जानकारी के विवरण जैसे फर्म का नाम, पता, अपंवचन के लिए अपनाया गया तरीका, अपवंचन के जिम्मेदार व्यक्ति और अन्य सभी अनुषंगी विवरण होने चाहिए ।

सूचनादाता व्यक्ति को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार की राशि अधिकतम जब्त किए गए माल के मूल्य और वसूल किए शुल्क की राशि का 20ऽ हो सकती है । स्वर्ण के लिए अधिकतम नकद पुरस्कार रु. 50,000/- प्रति किलोग्राम, चांदी के लिए रु. 1000/- प्रति किलोग्राम, पोस्ता के लिए रु. 220/- प्रति किलोग्राम, हेरोइन के लिए रु. 20,000/- प्रति किलोग्राम, कोकीनके लिए रु. 40,000/- प्रति किलोग्राम और हशीश के लिए रु. 400/- प्रति किलोग्राम है । यदि सूचना से शुल्क अपवंचन का पता चलता है तो सूचनादाता व्यक्ति को अधिकतम अपवंचित शुल्क-राशि के 20ऽ तथा वसूल किए गए अर्थ दण्ड / दण्ड के 20ऽ तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है ।

सम्पर्क किससे करें !

यदि आप के पास देने के लिए के लिए कोई विनिर्दिष्ट सूचना हो तो आप राजस्व आसूचना निदेशालय के किसी भी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं । आपकी सुविधा के लिए टेलिफोन सहित कुछ पतों की सूची इस वेब साइट में दी गई है । आपके नाम और पहचान को पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा । उपयुक्त मामलों में अग्रिम नकद पुरस्कार देने का भी प्रावधान है।

अधिकारी का नाम	पदनाम	टेलीफोन (कार्या)	टेलीफोन (निवास)	ईमेल पता
श्री ए.पी.काला	महानिदेशक	011-2337-9465	011-2626-5110	drihqrs@nic.in ap.kala@nic.in
अपर महानिदेशक	अपर महानिदेशक	011-2337-9465		drihqrs@nic.in
सुश्री प्रवीण महाजन	अपर महानिदेशक राआनि.जोनल यूनिट	011-2436-0930	011-24357183	bebumahajan@yahoo.com
श्री जे.एम.एस.	अपर महानिदेशक रा.आ.नि.लखनऊ	0522-230-4217	0522-223-9258	jmshanti@refiffmail.com
श्री अरून टण्डन	अपर महानिदेशक रा.आ.नि मुंबई	022-2201-0320 022-2201-0321	022-2140-3881	adgri@yahoo.com
श्री एम. आई. जे. माईकल	अपर महानिदेशक रा.आ.नि.अहमदाबाद	079-2663-3417		driazu@nic.in
श्री संजीव सचदेवा	अपर महानिदेशक रा.आ.नि.,कोलकता	033-2282-7862 033-2282-6222	033-2479-9434	drikzu@nic.in
डॉ.पी.बाबू	अपर महानिदेशक रा.आ.नि.,चेन्नै	044-2815-4498		driczu@nic.in
श्री हर्षवर्द्धन चौहान	अपर महानिदेशक रा.आ.नि.,बंगलौर	080-2525-2809		dribzu@dataone.in